संख्या-857/2026/784/22-2-2026-17(411)/2026

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 जुलाई, 2026

विषयः- जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाल जी पुत्र श्री हरिलाल, निवासी जनपद-वाराणसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13928/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-26.03.2026, दिनांक 09.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाल जी पुत्र श्री हरिलाल (दिनांक 05.02.2026 तक 55 वर्ष 02 माह 04 दिन), जो मकान नं0-बी 19/24 बी डेवटिया बीर बाबा, थाना-भेलूपुर, जनपद-वाराणसी का निवासी है। मृतका के पिता ने होटल खोलने हेतु बन्दी के पिता से 8000/- रूपयें ऊधार लिये थे, जिसे वापस न करने पर बन्दी ने दिनांक 19.09.1977 को अपनी पत्नी श्रीमती गीता देवी की मारपीट कर व जलाकर हत्या. कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-266/1981 में भा०द०वि० की धारा-342, 323, 309, 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-03, वाराणसी के आदेश दिनांक 13.11.1984 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.09.2025 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.02.2026 तक अपरिहार 02 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 05.02.2026 तक बन्दी की आयु 55 वर्ष, 02 माह एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष 05.02.2026 तक अपरिहार 00 वर्ष, 02 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 02 माह, 08 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लाल जी (बन्दी संख्या-258/2025) पुत्र श्री हरिलाल, निवासी जनपद-वाराणसी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-857/2026/784(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

2- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) डायरी नं0-56773/2025 लालजी बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।